Part – I

A

न्यायाधीश, बालक न्यायालय (सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान) पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre) निर्णय दिनांक – 07 मार्च, 2026 सेशन प्रकरण संख्या – 108/2025 सीएनआर संख्या – RJCH010010162025 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 223/2025 पुलिस थाना रतनगढ़)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक, चूरू
ACCUSED	प्रमोद कुमार पुत्र मोहनलाल उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 37 रतनगढ़ पीएस रतनगढ़ जिला चूरू
REPRESENTED BY	श्री टेकचन्द कटारिया व श्री बाबूलाल सैनी, योग्य अधिवक्ता – अभियुक्त की ओर से।

B

Date of Offence	03.06.2025
Date of FIR	03.06.2025
Date of Chargesheet	17.07.2025 Committed on 18.08.2025
Date of Framing of Charges	27.11.2025
Date of commencement of evidence	12.01.2026
Date on which judgment is reserved	07.03.2026
Date of the Judgement	07.03.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1	प्रमोद कुमार	धारा 35(3) BNSS	–	3/14, 7/14 व 11/14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) व धारा 79 JJ Act तथा 146 BNS	दोषमुक्त	–	–

PART–II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)

PW. 1	मदनलाल	पुलिस गवाह, एएचटीयू टीम सदस्य,, कार्यवाही के समय मौके पर उपस्थित
PW. 2	अशोक कुमार	पुलिस गवाह, एएचटीयू टीम सदस्य, वीडियोग्राफी करने वाला
PW. 3	साहिल	कथित बाल श्रमिक
PW. 4	हेमराज	अनुसन्धान अधिकारी
PW. 5	रामनिवास	एएसआई व बाल कल्याण अधिकारी, कार्यवाही का नेतृत्व करने वाला अधिकारी

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	नाबालिग बालक साहिल की फर्द दस्तयाबी
2	प्रदर्श पी–2	बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रारूप–17
3	प्रदर्श पी–3	धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र (वीडियोग्राफी सम्बन्धी)
4	प्रदर्श पी–4	डीवीडी की फर्द जब्ती
5	प्रदर्श पी–5	गवाहों के पुलिस बयान
6	प्रदर्श पी–6	नक्शा मौका
7	प्रदर्श पी–6ए	हालात मौका
8	प्रदर्श पी–7	विद्यालय से शैक्षणिक अभिलेख मंगाने हेतु तहरीर
9	प्रदर्श पी–8	प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर)

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	आर्टिकल–01	वीडियोग्राफी की डीवीडी

– नि र्ण य –

दिनांक – 07 मार्च, 2026

(1) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 03.06.2025 को समय 12:21 बजे श्री रामनिवास उपनिरीक्षक एवं बाल कल्याण अधिकारी, पुलिस थाना रतनगढ़ जिला चूरू, एएचटीयू टीम के सदस्यगण–श्री मदनलाल हैड कांस्टेबल, श्री भागीरथ कांस्टेबल, श्री अशोक कुमार कांस्टेबल तथा श्रीमती रंजना महिला कांस्टेबल के साथ राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित विशेष अभियान "उमंग" के तहत बालश्रम उन्मूलन सम्बन्धी कार्यवाही हेतु रवाना हुए। टीम जब मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर, रतनगढ़ के पास पहुंची तो समय लगभग 12:30 बजे एक सब्जी की दुकान पर एक नाबालिग बालक को कार्य करते हुए पाया गया। उक्त बालक से कराए जा रहे कार्य की विडियोग्राफी पुलिस टीम के सदस्य द्वारा करवाई गई। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि चौधरी सेनेट्री की दुकान पर भी एक नाबालिग बालक से बालश्रम कराया जा रहा है। इस पर महिला कांस्टेबल रंजना को उक्त दुकान की निगरानी हेतु वहीं छोड़ा जाकर शेष टीम द्वारा वहां पहुंचकर जांच की गई, जहां भी एक नाबालिग बालक से कार्य कराया जाना पाया गया। तत्पश्चात नाबालिग बालक से पूछताछ की गई, जिसने अपना नाम साहिल पुत्र रतनलाल उम्र लगभग 15 वर्ष निवासी रतनगढ़ होना बताया। बालक ने बताया कि वह प्रातः 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक सब्जी की दुकान पर कार्य करता है तथा उसे इसके बदले मासिक 5,000/– रुपये मजदूरी दी जाती है और कार्य के दौरान उसे कोई विश्राम भी नहीं दिया जाता। बालक ने अपने मालिक के रूप में प्रमोद कुमार सिंधी का नाम बताया, जो पुलिस टीम के पहुंचने पर मौके से चला गया। पूछताछ करने पर मजदूरी अथवा हाजिरी सम्बन्धी कोई रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं पाया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना, रतनगढ़ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 223/2025 जुर्म दफा 3, 7, 11, 14 बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम तथा धारा 146 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत दर्ज कर बाद अनुसन्धान उर्पयुक्त धाराओं में अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जो इस न्यायालय में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

(2) बहस चार्ज सुनी जाकर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार को धारा धारा 3/14, 7/14 व 11/14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) व धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम तथा 146 भारतीय न्याय संहिता में के आरोप अलग से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(3) अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त सारणी में वर्णितानुसार 5 गवाहान व ..... दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाए गए है। इसके उपरान्त अभियुक्त को धारा 351 बी०एन०एस०एस० के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उसने स्वयं को झूठा फँसाया जाना कथन किया। अभियुक्त को साक्ष्य पेश करने के लिए कहा गया लेकिन उसकी ओर से किसी भी प्रकार की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई।

(4) प्रकरण के निर्णय हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं –

1. **क्या अभियोजन यह सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल हुआ है कि दिनांक 03.06.2025 को समय करीब 12:30 बजे कस्बा रतनगढ़ स्थित घंटाघर के पास आरोपी प्रमोद कुमार सिंधी की सब्जी की दुकान पर आरोपी द्वारा नाबालिग बालक साहिल को अपनी दुकान पर कार्य हेतु नियोजित कर उससे बालश्रम कराया गया, उसे निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बिना विश्राम के कार्य करवाया गया, उसके सम्बन्ध में विधि अनुसार रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया, तथा उसका शोषण करते हुए उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध श्रम करने के लिए विवश किया गया ?**
2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्त को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(5) इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए जिन पाँच गवाहान के कथन न्यायालय में लेखबद्ध करवाए गए है, उनकी साक्ष्य का विवेचन किया जाना उचित है जो इस प्रकार से हैं:–

(6) गवाह पी.डब्ल्यू. 1 मदनलाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.06.2025 को वह एएचटीयू, चूरू में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। इस गवाह ने बताया कि उसी दिन 12.21 पीएम पर थाना रतनगढ़ से श्री रामनिवास, एएसआई के साथ वह स्वयं, भागीरथ, अशोक कुमार एवं रंजना कांस्टेबल, सरकारी वाहन एवं अनुसन्धान बॉक्स सहित बालश्रम कार्यवाही हेतु रवाना हुए तथा मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर के पास पहुँचे। इस गवाह ने आगे कहा कि 12.30 पीएम पर घंटाघर के पास एक सब्जी की दुकान पर एक नाबालिग बालक को बालश्रम करते हुए पाया गया, जिसकी वीडियोग्राफी अशोक कुमार द्वारा की गई। इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि चौधरी सेनेटरी की दुकान पर भी नाबालिग बालक से बालश्रम कराया जा रहा है, जिस पर रंजना कांस्टेबल को उक्त दुकान पर निगरानी हेतु छोड़ा गया तथा रामनिवास एएसआई पुनः सब्जी की दुकान पर आ गए, जहाँ इस गवाह को छोड़ा गया था। इस गवाह ने बताया कि बाल कल्याण अधिकारी रामनिवास द्वारा बालक से नाम–पता पूछने पर उसने अपना नाम साहिल बताया। मौके पर स्वतन्त्र गवाह बनाने का प्रयास किया गया, परंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ, जिस पर इस गवाह एवं भागीरथ को मोतबीर बनाया गया। इस गवाह ने आगे कहा कि बालक से पुनः पूछताछ करने पर उसने बताया कि उससे प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक सब्जी की दुकान पर काम करवाया जाता है तथा उसे मासिक 5000/– रुपये मजदूरी दी जाती है और वह दुकान पर सब्जी तौलने का कार्य करता है। दुकान मालिक के सम्बन्ध में पूछने पर बालक ने दुकान मालिक का नाम प्रमोद कुमार सिंधी बताया, जो मौके पर उपस्थित नहीं मिला। हाजिरी रजिस्टर के सम्बन्ध में पूछने पर कोई हाजिरी रजिस्टर होना नहीं बताया गया। इस गवाह ने कहा कि

तत्पश्चात नाबालिग बालक को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नाबालिग बालक साहिल की फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–1 है।**अपनी जिरह** में कथन किया कि जब पुलिस टीम मौके पर पहुँची तब बालक साहिल दुकान पर बैठा हुआ था और उस समय वह कोई कार्य नहीं कर रहा था। दुकान में कई कर्मचारी उपस्थित थे, किन्तु उनसे रामनिवास द्वारा कोई पूछताछ की गई हो, यह उसे ध्यान नहीं है। उसके अनुसार उस समय दुकान मालिक प्रमोद कुमार मौके पर उपस्थित नहीं था तथा उस समय दुकान की देखरेख कौन कर रहा था, यह वह नहीं बता सकता। दुकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में भी उसके समक्ष कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए थे। बालक साहिल की उम्र के सम्बन्ध में भी उसके सामने कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए थे तथा रेस्क्यू के समय बालक बालिग था या नहीं, यह भी वह नहीं बता सकता। गवाह ने यह भी कहा कि घटना स्थल भीड़–भाड़ वाला क्षेत्र था और आसपास दुकानें थीं, किन्तु उसके सामने आसपास के किसी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई और न ही किसी के बयान लेखबद्ध किए गए। उसने यह भी कहा कि दुकान प्रमोद कुमार की है, इस सम्बन्ध में मौके पर किसी ने कुछ नहीं बताया था।

(7) गवाह पी.डब्ल्यू. 2 अशोक कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.06.2025 को वह एएचटीयू, चूरू में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। इस गवाह ने बताया कि उसी दिन 12.21 पीएम पर थाना रतनगढ़ से श्री रामनिवास, एएसआई के साथ वह स्वयं, मदन लाल एचसी, भागीरथ तथा रंजना कांस्टेबल, सरकारी वाहन एवं अनुसन्धान बॉक्स सहित बालश्रम कार्यवाही हेतु रवाना होकर मुख्य बाजार होते हुए घंटाघर के पास पहुँचे। इस गवाह ने आगे कहा कि 12.30 पीएम पर घंटाघर के पास स्थित एक सब्जी की दुकान पर एक नाबालिग बालक को बालश्रम करते हुए पाया गया, जिसकी मौके पर इस गवाह द्वारा वीडियोग्राफी की गई। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि चौधरी सेनेटरी की दुकान पर भी एक नाबालिग बालक से बालश्रम कराया जा रहा है, जिस पर रंजना कांस्टेबल को उक्त दुकान पर बालश्रम एवं दुकानदार की निगरानी हेतु छोड़ा गया तथा इस गवाह ने रामनिवास एएसआई के साथ पुनः सब्जी की दुकान पर पहुँचकर मदन लाल एचसी को वहीं पाया। इस गवाह ने बताया कि बाल कल्याण अधिकारी रामनिवास द्वारा नाबालिग बालक से नाम–पता पूछने पर उसने अपना नाम साहिल बताया। मौके पर स्वतन्त्र मोतबीर बनाने का प्रयास किया गया, किंतु कोई भी तैयार नहीं हुआ, जिस पर मदन लाल एवं भागीरथ को मोतबीर बनाया गया। इस गवाह ने कहा कि बालक से पुनः पूछताछ करने पर उसने बताया कि उससे प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक सब्जी की दुकान पर कार्य करवाया जाता है, उसे मासिक 5000/– रुपये मजदूरी दी जाती है तथा वह सब्जी तौलने का कार्य करता है। दुकान मालिक के सम्बन्ध में पूछने पर बालक ने दुकान मालिक का नाम प्रमोद कुमार सिंधी बताया, जो मौके पर उपस्थित नहीं मिला। हाजिरी रजिस्टर के सम्बन्ध में पूछने पर कोई हाजिरी रजिस्टर होना नहीं बताया गया। इस गवाह ने कहा कि तत्पश्चात नाबालिग बालक को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। नाबालिग बालक साहिल की फर्द दस्तयाबी प्रदर्श पी–1 है। बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रारूप–17 प्रदर्श पी–2 है। वीडियोग्राफी के सम्बन्ध में इस

गवाह द्वारा प्रदत्त धारा 63 भारतीय साक्ष्य अधिर्नियम का प्रमाण पत्र प्रदश पी –3 है। वीडियोग्राफी से सम्बन्धित डीवीडी की फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 है तथा तैयार की गई डीवीडी आर्टिकल–01 है। **अपनी जिरह** में कथन किया कि चौधरी सेनेटरी की दुकान से वापस सब्जी की दुकान पर कितने समय बाद लौटे, यह उसे स्मरण नहीं है। उसने बताया कि मौके पर वीडियोग्राफी उसके मोबाइल से की गई थी तथा प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–3 में यह अंकित नहीं है कि वीडियोग्राफी उसके मोबाइल से की गई थी और न ही उसमें दिनांक, समय एवं स्थान का उल्लेख है। उसने यह भी कहा कि उक्त प्रमाण पत्र उसने घटना के कितने दिन बाद दिया था, यह उसे स्मरण नहीं है। डीवीडी आर्टिकल–01 चूरू में तैयार की गई थी, किन्तु उसे किसने तैयार किया, यह उसे याद नहीं है। उसने यह भी कहा कि जब वे मौके पर पहुँचे तब बालक साहिल दुकान पर बैठा हुआ था और कोई कार्य नहीं कर रहा था। दुकान मालिक प्रमोद कुमार उस समय मौके पर उपस्थित नहीं था तथा दुकान के स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज उसके समक्ष प्राप्त नहीं किए गए थे। बालक की उम्र से सम्बन्धित भी उसके सामने कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए थे। उसने यह भी कहा कि आसपास के किसी व्यक्ति से उसके सामने कोई पूछताछ नहीं की गई थी।

(8) पी.डब्ल्यू.3 साहिल ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि आज से लगभग 6–7 माह पूर्व उसने प्रमोद कुमार की दुकान पर कोई मजदूरी अथवा नौकरी नहीं की थी। उसके उक्त कथन अभियोजन के प्रतिकूल होने के कारण लोक अभियोजक के निवेदन पर उसे **पक्षद्रोही** घोषित किया गया जिनकी जिरह के दौरान गवाह ने कहा कि उसके पुलिस में कोई बयान नहीं हुए थे तथा पुलिस द्वारा लिखित बयान प्रदर्श पी–5 में अंकित कथनों से उसने इंकार किया। उसने यह स्वीकार किया कि दस्तयाबी फर्द प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर हैं, किन्तु यह भी कहा कि पुलिस ने उसे डरा–धमकाकर थाने में हस्ताक्षर करवा लिए थे। गवाह ने इस बात से भी इंकार किया कि वह दिनांक 03.06.2025 को घंटाघर के पास स्थित सब्जी की दुकान पर 5,000 रुपये प्रतिमाह मजदूरी करता हुआ पाया गया था अथवा अभियुक्त प्रमोद कुमार उससे पूरे दिन काम करवाता था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की ओर संकेत करने पर भी गवाह ने कहा कि वह प्रमोद कुमार को नहीं जानता तथा यह भी कहा कि उक्त सब्जी की दुकान किसकी थी, यह उसे ज्ञात नहीं है।

(9) गवाह पी.डब्ल्यू.4 हेमराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 19.06.2025 को वह पुलिस थाना रतनगढ़ में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उक्त दिनांक को मुकदमा संख्या 223/2025, पुलिस थाना रतनगढ़ के अनुसन्धान के दौरान उसने गवाहान मदनलाल, अशोक कुमार, भागीरथ, रंजना, रामनिवास तथा किशोर साहिल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए, जो प्रदर्श पी–5 के रूप में अंकित हैं। उसके द्वारा घटना से सम्बन्धित डीवीडी आर्टिकल–01 की जब्ती की कार्यवाही की गई, जिसकी फर्द जब्ती प्रदर्श पी–4 है। उसने घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 तथा हालात मौका प्रदर्श पी–6ए तैयार किया। इसके अतिरिक्त प्रकाश पाठशाला, रतनगढ़ के प्रधानाचार्य को बालश्रमिक साहिल से सम्बन्धित शैक्षणिक अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु तहरीर प्रेषित की, जो प्रदर्श पी–7

के रूप में अंकित है। तत्पश्चात साहिल की आयु से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त कर पत्रावली में शामिल किए गए। अनुसन्धान पूर्ण होने पर उसने अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरुद्ध धारा 3, 7, 11, 14 बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम तथा धारा 146 बीएनएस का अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली थानाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, जिनके द्वारा न्यायालय में चालान पेश किया गया। **अपनी जिरह** में इस गवाह ने कहा है कि यह कहना सही है कि दौराने अनुसन्धान मेरे द्वारा घटना स्थल के पडीसियान के कोई बयान नहीं लिए गए थे और ना ही उनसे तफ्तीश की गई थी। नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 में दर्शायी गई दुकान अभियुक्त प्रमोद की हो. इस बाबत् मेरे द्वारा कोई दस्तावेज नहीं लिया गया और ना ही इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा नगर पालिका, रतनगढ़ से कोई रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। मेरे अनुसन्धान में यह आया था कि वक्त कार्यवाही अभियुक्त प्रमोद इस दुकान पर मौजूद नहीं था। मेरे अनुसन्धान में यह नहीं आया था कि अभियुक्त प्रमोद उस दुकान का मालिक हो और ना ही किसी पड़ौसी ने मुझे ऐसा बताया था।

(10) गवाह पी.डब्ल्यू.5 रामनिवास ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.06.2025 को वह पुलिस थाना रतनगढ़ में एएसआई के पद पर बाल कल्याण अधिकारी के रूप में पदस्थापित था। उक्त दिनांक को समय 12:21 बजे वह अपने साथ भागीरथ कांस्टेबल, मदनलाल हैड कांस्टेबल, अशोक कुमार कांस्टेबल तथा रंजना कांस्टेबल को साथ लेकर सरकारी वाहन एवं अनुसन्धान बॉक्स सहित बालश्रम के विरुद्ध कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। टीम मुख्य बाजार से होते हुए घंटाघर, रतनगढ़ के पास पहुंची, जहां समय लगभग 12:30 बजे घंटाघर के पास स्थित एक सब्जी की दुकान पर एक नाबालिग बालक कार्य करते हुए पाया गया। उक्त बालक से कराए जा रहे कार्य की विडियोग्राफी अशोक कुमार कांस्टेबल द्वारा की गई। इसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि चौधरी सेनेट्री की दुकान पर भी एक नाबालिग बालक से बालश्रम कराया जा रहा है, जिस पर कांस्टेबल रंजना को उक्त दुकान पर निगरानी हेतु छोड़ा गया तथा वह स्वयं पुनः सब्जी की दुकान पर आ गया। उसने दुकान पर उपस्थित बालक से नाम–पता पूछा, जिस पर बालक ने अपना नाम साहिल बताया। कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र गवाह बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। तब मदनलाल एवं भागीरथ को मौके पर मौतबीर नियुक्त किया गया। पुनः पूछताछ करने पर बालक ने बताया कि उससे सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उक्त सब्जी की दुकान पर कार्य करवाया जाता है तथा उसे प्रति माह 5,000 रुपये मजदूरी दी जाती है और वह दुकान पर सब्जी तौलने का कार्य करता है। बालक से दुकान मालिक के सम्बन्ध में पूछने पर उसने प्रमोद कुमार सिंधी का नाम बताया, किन्तु दुकान मालिक मौके पर उपस्थित नहीं मिला। हाजिरी रजिस्टर के सम्बन्ध में पूछने पर बालक ने बताया कि दुकान पर कोई हाजिरी रजिस्टर नहीं रखा जाता है। इसके पश्चात बालक साहिल को विधि अनुसार रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस सम्बन्ध में फर्द दस्तयाबी नाबालिग बालक साहिल प्रदर्श पी–1, एफआईआर प्रदर्श पी–8 तथा नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर उसके हस्ताक्षर अंकित हैं। **अपनी जिरह** में कथन किया कि बालक साहिल के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति ने उसे दुकान मालिक का नाम नहीं

बताया था और न ही दुकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज मौके पर प्राप्त किए गए थे। उसने यह भी कहा कि कार्यवाही के समय अभियुक्त प्रमोद दुकान पर उपस्थित नहीं था। जब वह मौके पर पहुँचा तब बालक साहिल दुकान में मौजूद था, किन्तु वह उस समय कोई कार्य नहीं कर रहा था। उसने यह भी कहा कि आसपास की दुकानों के व्यक्तियों से उसके द्वारा कोई पूछताछ नहीं की गई थी। उसके अनुसार उस समय दुकान पर साहिल के अतिरिक्त दो–तीन अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। उसने यह भी कहा कि आर्टिकल–01 सीडी को उसने स्वयं चलाकर नहीं देखा था, इसलिए उसमें क्या है, यह वह नहीं बता सकता।

(11) बहस अन्तिम सुनी गई।

(12) अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 03.06.2025 को पुलिस टीम द्वारा विशेष अभियान "उमंग" के तहत की गई कार्यवाही के दौरान कस्बा रतनगढ़ स्थित घंटाघर के पास एक सब्जी की दुकान पर नाबालिग बालक साहिल को कार्य करते हुए पाया गया। मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों गवाह पी.डब्ल्यू.1 मदनलाल, पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार तथा पी.डब्ल्यू.5 रामनिवास के कथनों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि उक्त बालक से दुकान पर कार्य कराया जा रहा था तथा उसने स्वयं बताया कि वह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करता है और उसे मासिक 5,000 रुपये मजदूरी दी जाती है। इस सम्बन्ध में वीडियोग्राफी भी करवाई गई तथा नाबालिग बालक को विधि अनुसार रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

(13) इसके विपरीत अभियुक्त की ओर से विद्वान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अत्यंत विरोधाभासी एवं अविश्वसनीय हैं, जिनके आधार पर अभियोजन का मामला सन्देहास्पद हो जाता है। उनकी बहस रही है कि प्रकरण का मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू.3 साहिल न्यायालय में अपने पूर्व कथनों से पूर्णतः मुकर गया है तथा उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अभियुक्त प्रमोद कुमार की दुकान पर कोई मजदूरी या कार्य नहीं किया था और वह अभियुक्त को पहचानता तक नहीं है। इसके अतिरिक्त गवाह पी.डब्ल्यू.1 मदनलाल तथा पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तब बालक साहिल दुकान पर केवल बैठा हुआ था और उस समय कोई कार्य नहीं कर रहा था। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्त प्रमोद कुमार उस समय मौके पर उपस्थित नहीं था तथा दुकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उनके समक्ष प्राप्त नहीं किए गए थे। इसी प्रकार अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू.4 हेमराज ने भी अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके अनुसन्धान में यह नहीं आया कि उक्त दुकान अभियुक्त प्रमोद कुमार की थी और न ही इस सम्बन्ध में नगर पालिका अथवा किसी अन्य स्रोत से कोई दस्तावेज प्राप्त किए गए। इसके अतिरिक्त घटना स्थल भीड़–भाड़ वाला बाजार क्षेत्र होने के बावजूद किसी भी स्वतन्त्र गवाह के बयान नहीं लिए गए, जिससे अभियोजन की कहानी पर सन्देह उत्पन्न होता है। वीडियोग्राफी के सम्बन्ध में भी गवाह पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार ने स्वीकार किया है कि प्रमाण पत्र में दिनांक, समय एवं स्थान का उल्लेख

नहीं है तथा डीवीडी किसने तैयार की, यह भी उसे स्मरण नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी विधि अनुसार प्रमाणित नहीं है। अतः बचाव पक्ष का यह निवेदन है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप सन्देह से प्रमाणित करने में विफल रहा है इसलिए उसे दोषमुक्त किया जावे।

(14) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं सम्बन्धित विधि का अवलोकन किया गया।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या एक के सम्बन्ध में साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर विवेचनः–</u>

(15) अभियोजन पक्ष का आरोप है कि दिनांक 03.06.2025 को कस्बा रतनगढ़ स्थित घंटाघर के पास अभियुक्त प्रमोद कुमार सिंधी की सब्जी की दुकान पर नाबालिग बालक साहिल से बालश्रम कराया जा रहा था तथा उससे प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक कार्य करवाया जाता था। इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू.1 मदनलाल, पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार, पी.डब्ल्यू.3 साहिल, पी.डब्ल्यू.4 हेमराज तथा पी.डब्ल्यू.5 रामनिवास को परीक्षित कराया गया है। इन समस्त गवाहों की साक्ष्य का संयुक्त रूप से परीक्षण करने पर प्रकरण की जो वास्तविक स्थिति स्पष्ट होती है उसके अनुसार अभियोजन के पुलिस गवाह पी.डब्ल्यू.1 मदनलाल, पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार तथा पी.डब्ल्यू.5 रामनिवास ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि दिनांक 03.06.2025 को बालश्रम के विरुद्ध कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम घंटाघर, रतनगढ़ के पास पहुँची, जहाँ एक सब्जी की दुकान पर एक बालक साहिल मौजूद मिला। इन गवाहों के अनुसार बालक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक दुकान पर कार्य करता है तथा उसे 5,000 रुपये प्रतिमाह मजदूरी दी जाती है। इन गवाहों ने यह भी कहा है कि मौके पर बालक से कराए जा रहे कार्य की वीडियोग्राफी की गई तथा बाद में बालक को रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया किन्तु इन गवाहों की जिरह का परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके कथनों से अभियोजन का आरोप स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं हो पाता। पी.डब्ल्यू.1 मदनलाल, पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार तथा पी.डब्ल्यू.5 रामनिवास तीनों गवाहों ने जिरह में यह स्वीकार किया है कि जब पुलिस टीम मौके पर पहुँची तब बालक साहिल दुकान पर बैठा हुआ था और उस समय वह कोई कार्य नहीं कर रहा था। इस तथ्य से यह सन्देह उत्पन्न होता है कि बालक वास्तव में उस समय दुकान पर कार्य कर रहा था या नहीं। यदि वास्तव में बालक से उस समय कार्य कराया जा रहा होता तो पुलिस गवाहों के कथनों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना अपेक्षित था। इन गवाहों ने यह भी स्वीकार किया है कि कार्यवाही के समय अभियुक्त प्रमोद कुमार मौके पर उपस्थित नहीं था। इसके अतिरिक्त इन गवाहों के कथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि दुकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में मौके पर कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए थे और न ही यह प्रमाणित किया गया कि उक्त दुकान वास्तव में अभियुक्त प्रमोद कुमार की ही थी। गवाह पी.डब्ल्यू.1 मदनलाल तथा पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार ने जिरह में यह भी कहा है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि उस समय दुकान की देखरेख कौन कर रहा था। इससे यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि जिस स्थान पर बालक मौजूद पाया गया, उस स्थान का

अभियुक्त से क्या सम्बन्ध था।

(16) प्रकरण के अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू.4 हेमराज की साक्ष्य का परीक्षण करने पर भी अभियोजन का कथन सुदृढ़ रूप से स्थापित नहीं होता। इस गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दौराने अनुसन्धान उसके द्वारा घटना स्थल के आसपास के व्यक्तियों के बयान नहीं लिए गए थे और न ही उनसे कोई पूछताछ की गई थी, जबकि घटना स्थल एक भीड़–भाड़ वाला बाजार क्षेत्र था। सामान्यतः ऐसी स्थिति में स्वतन्त्र गवाहों के बयान लिए जाना अपेक्षित होता है, जिससे घटना की पुष्टि हो सके। किन्तु इस प्रकरण में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया। अनुसन्धान अधिकारी ने यह भी स्वीकार किया है कि इस सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए थे और न ही नगर पालिका से कोई रिकॉर्ड प्राप्त किया गया था कि नक्शा मौका में दर्शाई गई दुकान अभियुक्त प्रमोद की है। उसने यह भी कहा कि उसके अनुसन्धान में यह तथ्य सामने नहीं आया कि उक्त दुकान अभियुक्त प्रमोद कुमार की थी। इस प्रकार अभियोजन यह भी प्रमाणित नहीं कर पाया कि जिस दुकान पर बालक मौजूद पाया गया वह वास्तव में अभियुक्त की ही थी।

(17) प्रकरण के मुख्य गवाह पी.डब्ल्यू.3 साहिल की साक्ष्य का परीक्षण करने पर भी अभियोजन का आरोप पुष्ट नहीं होता है क्योंकि इस गवाह ने न्यायालय में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अभियुक्त प्रमोद कुमार की दुकान पर कोई मजदूरी अथवा नौकरी नहीं की थी। इस गवाह ने यह भी कहा कि वह अभियुक्त प्रमोद कुमार को नहीं जानता तथा यह भी उसे ज्ञात नहीं है कि उक्त सब्जी की दुकान किसकी थी। इस गवाह ने पुलिस द्वारा लिखित कथनों से भी स्पष्ट रूप से इंकार किया है। यद्यपि इस गवाह ने दस्तयाबी फर्द प्रदर्श पी–1 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, किन्तु उसने यह भी कहा है कि पुलिस द्वारा उसे डरा–धमकाकर थाने में हस्ताक्षर करवा लिए गए थे। इस प्रकार यह गवाह अभियोजन के कथन से मुकर गया है और उसे अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है। यह सही है कि पक्षद्रोही घोषित किए जाने मात्र से किसी गवाह की सम्पूर्ण साक्ष्य स्वतः अस्वीकार्य नहीं हो जाती किन्तु ऐसे गवाह की साक्ष्य का परीक्षण सावधानीपूर्वक किया जाना अपेक्षित होता है। वर्तमान प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि यही गवाह वह व्यक्ति है जिसे अभियोजन ने कथित बाल श्रमिक के रूप में प्रस्तुत किया है और जिसके आधार पर अभियोजन का सम्पूर्ण मामला स्थापित किया गया है। जब यही गवाह न्यायालय में यह कहता है कि उसने अभियुक्त की दुकान पर कोई कार्य नहीं किया तथा वह अभियुक्त को जानता तक नहीं है, तब अभियोजन की कहानी का मूल आधार ही समाप्त हो जाता है। अभियोजन द्वारा इस गवाह से जिरह कराए जाने पर भी ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया जिससे यह स्थापित हो सके कि उक्त बालक वास्तव में अभियुक्त की दुकान पर कार्य करता था। इस गवाह ने अपने कथनों पर दृढ़ रहते हुए अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया।

(18) इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि घटना स्थल एक भीड़–भाड़ वाला बाजार क्षेत्र बताया गया है, जहाँ आसपास अनेक दुकानें स्थित हैं। ऐसे स्थान पर कार्यवाही किए जाने के बावजूद अभियोजन द्वारा किसी भी स्वतन्त्र व्यक्ति को गवाह के रूप में प्रस्तुत

नहीं किया गया है। पुलिस गवाहों की जिरह से भी यह तथ्य सामने आया है कि आसपास के दुकानदारों अथवा अन्य व्यक्तियों से कोई पूछताछ नहीं की गई और न ही उनके बयान लेखबद्ध किए गए। ऐसी स्थिति में केवल पुलिस अधिकारियों के कथनों के आधार पर अभियोजन के आरोपों को निर्विवाद रूप से सिद्ध मानना उचित प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार प्रकरण के मुख्य गवाह की साक्ष्य अभियोजन के कथन का समर्थन नहीं करती और स्वतन्त्र गवाहों के अभाव में अभियोजन की कहानी पुष्ट नहीं हो पाती, जिससे अभियोजन का आरोप सन्देह से परे प्रमाणित नहीं होता।

(19) जहाँ तक अभियोजन की ओर से बनाई गई वीडियोग्राफी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्रस्तुत साक्ष्य भी विधि अनुसार स्पष्ट एवं विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं हो पाता। गवाह पी.डब्ल्यू.2 अशोक कुमार ने अपनी जिरह में यह कहा है कि मौके की वीडियोग्राफी उसके मोबाइल फोन से की गई थी। तथापि इस सम्बन्ध में जो प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–3 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसमें यह स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि उक्त वीडियोग्राफी किस उपकरण अथवा मोबाइल से की गई थी और न ही उसमें वीडियोग्राफी की दिनांक, समय एवं स्थान का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूल रिकॉर्डिंग से डीवीडी किसके द्वारा और किस प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की गई। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के सम्बन्ध में विधि यह अपेक्षा करती है कि उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु उसके निर्माण, संग्रहण तथा प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा उसके सम्बन्ध में विधि अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत प्रकरण में उपलब्ध प्रमाण पत्र से उक्त आवश्यक तथ्यों का समुचित उल्लेख नहीं मिलता। साथ ही गवाह पी .डब्ल्यू.5 रामनिवास ने भी अपनी जिरह में यह कहा है कि उसने प्रस्तुत डीवीडी को स्वयं चलाकर नहीं देखा था और उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसमें क्या सामग्री है। इन परिस्थितियों में प्रस्तुत वीडियोग्राफी एवं डीवीडी के सम्बन्ध में अभियोजन यह स्थापित करने में सफल नहीं हुआ है कि उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विधि अनुसार सुरक्षित एवं प्रमाणिक रूप से संधारित किया गया था। फलस्वरूप उक्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को पूर्णतः विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के रूप में स्वीकार करना सुरक्षित नहीं प्रतीत होता।

(20) उपरोक्त समस्त साक्ष्य के समग्र परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हो पाता कि घटना के समय बालक साहिल वास्तव में अभियुक्त की दुकान पर कार्य कर रहा था अथवा अभियुक्त द्वारा उससे बालश्रम कराया जा रहा था क्योंकि पुलिस गवाहों द्वारा मौके पर बालक को कोई कार्य करते हुए देखा जाना स्वीकार नहीं किया जाना, कार्यवाही के समय अभियुक्त का मौके पर उपस्थित होना स्थापित नहीं होना, सम्बन्धित दुकान का अभियुक्त की होना प्रमाणित नहीं किया जाना, प्रकरण के मुख्य गवाह साहिल द्वारा न्यायालय में अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया जाना तथा अभियुक्त की दुकान पर कार्य करना स्वीकार नहीं किया जाना, घटना स्थल भीड़–भाड़ वाला होने के बावजूद किसी स्वतन्त्र गवाह का परीक्षण किया जाना नहीं होना तथा अभियोजन

द्वारा प्रस्तुत वीडियोग्राफी एवं डीवीडी का विधि अनुसार विश्वसनीय रूप से सिद्ध नहीं किया जाना, जैसे तथ्य अभियोजन के आरोपों को पुष्ट नहीं करते। अतः विचारणीय प्रश्न संख्या एक अभियोजन के विरूद्ध एवं अभियुक्त के पक्ष में तय किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न संख्या – दो

(21) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के विवेचनाधीन अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरुद्ध धारा 3/14, 7/14 व 11/14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) व धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम तथा 146 भारतीय न्याय संहिता के अन्तर्गत आरोप सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हुए हैं। परिणामस्वरूप अभियुक्त सन्देह का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

–: आ दे श :–

(22) अतः अभियुक्त प्रमोद कुमार पुत्र मोहनलाल उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 37 रतनगढ़ पीएस रतनगढ़ जिला चूरू को धारा 3/14, 7/14 व 11/14 बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) व धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम तथा 146 भारतीय न्याय संहिता के आरोपों से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करार दिया जाता है।

(23) अभियुक्त के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पूर्व में निर्देशित अनुसार प्रस्तुत निजी बन्धपत्र एवं जमानत आगामी छः माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश,
बालक न्यायालय (सत्र न्यायाधीश)
चूरू (राजस्थान)

(24) निर्णय व आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश,
बालक न्यायालय (सत्र न्यायाधीश)
चूरू (राजस्थान)